Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा भाग IV में की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता, मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रिज लिमिटेड, सीपत रोड़, बिलासपुर को सूरजपुर जिले के सूरजपुर वनमंडल अंतर्गत भास्करपारा खुली खदान रकबा 313.775 हे. एवं भूमिगत खदान रकबा 201.806 हे. कोयला उत्खनन परियोजना हेतु कुल रकबा 515.581 हे. (संरक्षित वन भूमि 113.246 हे. + नारंगी वन भूमि 35.549 हे. + राजस्व वन भूमि 366.786 हे.) वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन की राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

Signature [signature]

(Manoj Kumar Pingua)
Principal Secretary
Government of Chhattisgarh
Deptt. of Forest & Climate Change
Mantralaya, Nawa Raipur

Date : 09-03-2023

Place : Raipur

Name - Manoj Kumar Pingua

Designation - Principal Secretary,
C.G. Govt.,
Forest & Climate Change Department

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5–01/2023/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 13/03/2023

प्रति,

डी.आई.जी. (एफ.सी.),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन,
जोर बाग, अलीगंज रोड़ नई दिल्ली – 110003।

विषयः – **Diversion of forest land for non-purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Coal Block has been allotted to M/s Prakash Industires Pvt. Ltd. for Bhaskarpara Coal block Surajpur District, Chhattisgarh area – 515.581 ha.-regarding.**

संदर्भः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/खनिज/331–306/51, दिनांक 05.01.2023 ।

––00––

वन संरक्षण अधिनियम 1980, के अंतर्गत विषयांतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980, छत्तीसगढ़ रायपुर से संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसका संक्षिप्त विवरण (Brief) निम्नानुसार है :–

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
1	**आवेदक विभाग का मांग पत्र** – आवेदनकर्ता मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रिज लिमिटेड, सीपत रोड़, बिलासपुर द्वारा सूरजपुर जिले के सूरजपुर वनमंडल के भास्करपारा खुली एवं भूमिगत कोयला उत्खनन परियोजना हेतु रकबा 515.581 हे. वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत फार्म **A** भाग 1 तथा आफलाईन विवरण देते हुए मांग रखी गई है। आवेदित वन एवं राजस्व वन भूमि का विवरण निम्नानुसार हैः– **संरक्षित वन भूमि**: 113.246; **नारंगी वन भूमि**: 35.549; **राजस्व वन भूमि**: 366.786; **योग रकबा**: 515.581	1 – 15
2	**प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक)** – वनमंडलाधिकारी द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक **FP/CG/MIN/149564/2021** आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि कार्यालयीन पत्र दिनांक 07.03.2022 के आधार पर की जाती है। आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन शुल्क 6000/– एवं प्रोसेसिंग शुल्क 1,75,000/– जमा कराये गये हैं।	16 – 19
3	**वन क्षेत्र का विवरण** – व्यपवर्तन हेतु आवेदित 515.581 हे. वन भूमि का विवरण दर्शित है जो आवेदक संस्थान तथा वनमंडलाधिकारी सूरजपुर वनमंडल द्वारा हस्ताक्षरित है।	20 – 34

क्रमशः : 2

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
4	**गैर वनक्षेत्र का विवरण –** **प्रस्तावित परियोजना में 416.419 हे.** गैर वन भूमि प्रभावित हो रही है, गैर वन भूमि का विवरण प्रस्ताव में संलग्न है।	35 – 119
5	**व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर –** 515.581 हे. आ रही है जिसे सर्वे आफ इंडिया की टोपोशीट 1:50000 स्केल पर दिखाया गया है। मानचित्र वन मंडलाधिकारी सूरजपुर द्वारा हस्ताक्षरित है।	120 – 121
6	**वनक्षेत्र का इण्डेक्स मैप –** वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है।	122 – 123
7	**प्रपत्र–4 में प्रस्ताव –** प्रपत्र– 4 में परियोजना की कुल लागत रू. 28,483 लाख करोड़ है। वनमंडलाधिकारी सूरजपुर ने प्रस्ताव को स्वीकृति योग्य माना है तथा उल्लेख किया गया है कि दूसरे सभी विकल्पो का परीक्षण कर लिया गया है और आवेदित वन भूमि न्यूनतम है। फ्लौरा एवं फौना की सूची दी गई है।	124 – 134
8	**प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप** – प्रस्ताव में संलग्न है।	135 – 156
9	**वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र –** आवेदित वन क्षेत्र के एवज में समतुल्य निजी भूमि एवं राजस्व भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि जमा करने हेतु आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।	157
10	**न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र –** प्रस्तावित वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि की मांग आवश्यक एवं न्यूनतम है, इस आशय का आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।	158
11	**पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र –** भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक IA J – 11015/90/2021–IA-II (M) दिनांक 31.01.2022 से भास्करपारा कोल ब्लाक के लिए टी.ओ. आर. जारी किया गया है।	159 – 173
12	**वृक्ष विदोहन विवरण –** आवेदित वन भूमि रकबा 515.581 हे. वन क्षेत्र में 12,724 नग विभिन्न प्रजातियों के खड़े वृक्षों की गणना ग्रिड सेम्पल प्लाट के आधार पर किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र में खड़े वृक्षों की 100 प्रतिशत गणना द्वितीय चरण की स्वीकृति पश्चात विदोहन योजना तैयार करने के पूर्व किया जावेगा।	174 – 247
13	**कास्ट/बेनिफिट ऐनालिसिस –** कास्ट बेनिफिट एनालिसिस संलग्न है। कास्ट बेनिफिट रेसियो 1:7 है। विस्तृत गणना पत्रक प्रस्ताव में संलग्न है।	248 – 254

क्रमश : 3

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
14	**चयनित गैर वनक्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा कि नकल मानचित्र सक्षम अधिकारी का हस्तातंरण आदेश) –** सूरजपुर जिले के सूरजपुर वन मंडल अंतर्गत भास्करपारा कोल खनन परियोजना हेतु प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि 113.246 हे. नारंगी वन क्षेत्र (ग्राम–बड़सरा) – 35.549 हे. एवं राजस्व वन भूमि 366.786 हे. कुल प्रभावित वन भूमि 515.581 हे. में से भूमिगत खदान 201.806 हे. को छोड़कर खुली ख़दान रकबा 313.775 हे. के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य निजी भूमि खैरागढ़ वनमंडल में 56.248 हे., बलरामपुर वन मंडल में निजी भूमि 97.910 हे. तथा जांजगीर–चांपा वनमंडल में शासकीय राजस्व भूमि 161.904 हे.; कुल 316.062 हे. का 10 वर्षीय परियोजना प्रतिवेदन मय उपचार मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न है।	255 – 326
15	**गैर वनक्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा –** प्रस्तावित क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु सूरजपुर जिले के सूरजपुर वनमंडल अंतर्गत भास्करपारा कोल खनन परियोजना हेतु प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि 113.246. हे. नारंगी वन क्षेत्र (ग्राम–बड़सरा) – 35.549 हे. एवं राजस्व वन भूमि 366.786 हे. कुल प्रभावित वन भूमि 515.581 हे. है। गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का 1:4000 स्केल का नक्शा प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।	327
16	**स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना –** सूरजपुर जिले के सूरजपुर वनमंडल अंतर्गत भास्करपारा कोल खनन परियोजना हु प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि 113.246. हे. नारंगी वन क्षेत्र (ग्राम–बड़सरा) – 35.549 हे. एवं राजस्व वन भूमि 366.786 हे. कुल प्रभावित वन भूमि 515.581 हे. में से भूमिगत खदान रकबा 201.806 हे. को छोड़कर खुली खदान हेतु रकबा 313.775 हे. के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य निजी भूमि खैरागढ़ वनमंडल में 56.248 हे., बलरामपुर वन मंडल में निजी भूमि 97.910 हे. तथा जांजगीर–चांपा वनमंडल में शासकीय राजस्व भूमि 161.904 हे. का 10 वर्षीय परियोजना प्रतिवेदन मय उपचार मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न है।	328 – 504
17	**वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र –** एकजाई वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है। यह प्रमाण पत्र वनमंडलाधिकारी, सूरजपुर वनमंडल द्वारा जारी किये गये है। इसके अलावा प्रत्येक परियोजना में पृथक–पृथक वनमंडलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र सम्मिलित किया गया है।	505 – 510
18	**अधिनियम उल्लघंन अंतर्गत कार्यो का विवरण –** वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन नही किया गया है। इस आशय का वनमंडलाधिकारी सूरजपुर एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन संलग्न है।	511
19	**अधिनियम उल्लघंन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण –** अधिनियम का उल्लंघन नहीं होने से अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध जिम्मेदारी का निर्धारण नहीं किया गया है। तदाशय का वनमंडलाधिकारी, सूरजपुर एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।	512

क्रमश : 4

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
20	**अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्व प्रस्तावित कार्यवाही –** अधिनियम का उल्लंघन नहीं होने से अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं किया गया है। तदाशय का वनमंडलाधिकारी, सूरजपुर एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।	513
21	**वैकल्पित वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र –** प्रस्तावित भास्करपारा कोयला खनन परियोजना में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। संस्थान द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु शासकीय राजस्व भूमि तथा निजी भूमि क्रय कर वन विभाग को प्रदाय की जायेगी। जिसकी प्रक्रिया प्रचलन में है एवं यथाशीघ्र ही पूर्ण कर ली जायेगी।	514
22	**कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान –** प्रस्तवित भास्करपारा कोयला खनन परियोजना अंतर्गत इस वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव प्रकरण में कैचमेंट–ट्रीटमेंट प्लान की आवश्यकता नहीं है। तदाशय का आवेदक संस्थान का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।	515
23	**रिक्लेमेशन प्लान –** सूरजपुर जिले के सूरजपुर वनमंडल अंतर्गत भास्करपारा कोल ब्लाक में कोयला खनन कार्य हेतु आवेदक संस्थान द्वारा हस्ताक्षरित रिक्लेमेशन प्लान प्रस्ताव में तैयार कर संलग्न है।	516 – 521
24	**माईनिंग प्लान IVM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) –** भास्करपारा कोयला खनन योजना (MINING PLAN) का अनुमोदन भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक MINECT/APP00208/ 2022 दिनांक 19.11.2022 द्वारा प्रदान किया गया है एवं माईनिंग प्लान की अनुमोदित प्रति परिशिष्ट क्रमांक 24/1 में संलग्न है।	522 – 664
25	**व्यवस्थापन प्लान –** प्रस्तावित भास्करपारा कोयला खनन परियोजना हेतु (पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन कार्य योजना) तैयार की गई है जिसकी प्रति परिशिष्ट क्रमांक 25/1 प्रस्ताव में संलग्न है।	665 – 683
26	**वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम पदनाम सील एवं दिनांक सहित(प्रपत्र I से IV तक)–** वनमंडलाधिकारी, सूरजपुर का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 22.12.2022 तथा इसके आधार पर भरा गया भाग–2 संलग्न है। वनो का घनत्व 0.4 से 0.5 बताया गया है। मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वृत्त द्वारा वनमंडलाधिकारी के प्रतिवेदन के ऊपर स्वयं के स्थल निरीक्षण दिनांक 02.01.2023 से प्रस्तावित व्यपवर्तन प्रस्ताव पर अनुशंसा की गई है।	684 – 691
27	**ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र –** व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक महत्व स्थल नही है आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र परिशिष्ट 27/1 में संलग्न है।	692 – 694
28	**संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्ताव हेतु चयनित वनभूमि के समीप स्थित ग्राम पंचायत, कुसमुसी, कुर्रीडीह, खांडापारा एवं दनौलीखुर्द, केवरा, बड़सरा एवं बस्करपारा ग्राम पंचायतों का अनापत्ति प्रमाण प्रस्ताव में संलग्न है।	695 – 700

क्रमशः : 5

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
29	**जिले की कुल वनभूमि (रकबा हे. में) –** प्रस्ताव में जिले की कुल वनभूमि 165572.246 हे. का विवरण संलग्न है।	701
30	**व.स.अ.1980 अंतर्गत जिले की स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में –** वन संरक्षण अधिनियम 1980 स्वीकृत 27 प्रकरणों में कुल 2679.044 हे. वन भूमि प्रभावित है। प्रमाण पत्र संलग्न है।	702 – 705
31	**व.स.अ.1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में –** वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वनभूमि 1911.109 हे. दर्शित है।	706
32	**प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उधान वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी –** प्रस्तावित कोल ब्लाक व्यपवर्तन प्रस्ताव हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/व.प्रा./स्टेनो/प्रबंध–550/2533 दिनांक 04.07.2022 द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कॉरीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी प्रदान की गई है जिसकी प्रति परिशिष्ट क्रमांक 32/1 में संलग्न है।	707 – 711
33	**15कि.मी.परिधि के नक्शें में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हाकन(केवल खनन प्रकरणमें) –** 15 कि.मी. परिधि के नक्शें में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हाकन कर मानचित्र परिशिष्ट 33/1 में संलग्न है।	712 – 714
34	**वन अधिकार मान्यता वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रिज लिमिटेड द्वारा सूरजपुर जिले के सूरजपुर वनमंडल अंतर्गत भास्करपारा कोल ब्लाक में कोयला खनन कार्य हेतु आवेदित क्षेत्र रकबा 515.581 हे. में वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रचलन में है। प्रथम चरण स्वीकृति के पश्चात प्रस्तुत किया जायेगा, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 29.06.2022 के द्वारा गाईड लाईन की प्रति प्रस्ताव में संलग्न है।	715 – 717
35	**राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र –** प्रस्ताव में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित राजस्व वन भूमि रकबा 366.786 हे. के लिए कलेक्टर सूरजपुर के पत्र क्रमांक/ 68/भू–अर्जन/ 2012 दिनांक 24.02.2012 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	718 – 731
36	**माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र –** आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।	732
37	**Clearance under FC Act,1980 Deposition of funds with the AD-hoc CAMPA : Remittances of precede 2nd stage Clearance –** आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।	733

क्रमंश : 6

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
38	**A detailed note on soil productivity or the lack of it –** प्रश्नाधीन भूमि की कुल रकबा 515.581 हे. वन भूमि, नारंगी वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि हेतु प्रस्तावित किया गया है कि "The soil quality assessment of the mining lease area has been carried out. Nine locations were identified for soil characteristics" विस्तृत विवरण प्रस्ताव में संलग्न है।	734 – 738
39	**परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र –** मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रिज लिमिटेड द्वारा सूरजपुर जिले के सूरजपुर वनमंडल अंतर्गत भास्करपारा कोल ब्लाक में कोयला खनन कार्य हेतु आवेदित क्षेत्र रकबा 515.581 हे. में किसी भी प्रकार की भूमि में किसी भी प्रकार की खनन कार्य प्रारंभ नही किया गया है। व्यपवर्तन के पश्चात ही प्रस्तावित भूमि पर खनन कार्य किया जायेगा। आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न है।	739
40	**Division of large area (more then 500 ha)of forest land for mining and other non-forestry purposes under the forest (conservation)Act 1980 Stipulation of additipna condition (The user agency shall establish and operate a Vocational Training Institute) –** संस्थान द्वारा भास्करपारा कोयला खनन परियोजना के लिए प्रस्तुत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में वन क्षेत्र का कुल रकबा 515.581 हे. है अतः संस्थान द्वारा या तो व्होकेशनल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट स्थापित किया जायेगा अन्यथा आसपास के क्षेत्र में पूर्व से स्थापित व्होकेशनल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट में संस्थान के खर्च पर प्रभावित क्षेत्र के युवाओं की आवश्यकतानुसार ट्रेनिंग की व्यवस्था की जायेगी। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	740
41	**पंजयीन कमांक –** चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांक – 2 अनुसार दर्शित है।	741 – 742
42	**वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत –** प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़, रायपुर के आदेश क्रमांक/व.प्रा./प्रबंध–550/106 दिनांक 23.05.2022 से 345.95 लाख का अनुमोदित वन्यप्राणी योजना तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न है।	743 – 747
43	**विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा ग्रीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण –** प्रस्ताव विद्युत लाईन से संबंधित नही है। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।	748
44	**प्रस्ताव में अन्य (Misc) जानकारी का विवरण –**	749 – 998

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

क्रमश : 7

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शिका के सिद्धांतों के अनुरुप सभी औपचारिकताए पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा (प्रपत्र–4) के उपरांत 1 प्रति में संलग्न प्रेषित है। राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र–5 में दी जाती है। कृपया प्रेषित प्रस्ताव पर उचित कार्यवाही करने का अनुरोध है।

संलग्नः – प्रस्ताव 1 प्रति में।

13/3/2023

(सौरभ सिंह ठाकुर)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 5–01/2023/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 13 /03/2023

प्रतिलिपिः–

1. वनमहानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, अरण्य भवन नवा, रायपुर की ओर प्रस्ताव की एक प्रति संलग्न कर कृपया सूचनार्थ।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ,।
3.मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर छत्तीसगढ़।
4.वनमंडलाधिकारी, सूरजपुर वनमंडल, सूरजपुर, छत्तीसगढ़ ।
5. निदेशक, मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रिज लि. सीपत रोड़, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

13/3/2023

उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

o/c